न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
13/24	एफएसएस एक्ट, 2006	13/03/2024

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

–आवेदक

बनाम

1. श्री हरि लाल गुप्ता पुत्र श्री केदार लाल (प्रोपराईटर) मैसर्स बंसल ट्रेडर्स व्यापार मंडल के पीछे , पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी 322201।
2. राजकुमार शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा (निर्माता फर्म) मैसर्स सवाई माधोपुर एण्ड करौली जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर 07462– 220233 ।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय दिनांक. 16.12.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेन्द्र कुमार सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिये युद्ध अभियान के तहत दिनांक 14.07.2023 को दोपहर 12:30 पी0एम पर उक्त फर्म बंसल ट्रेंडर्स व्यापार मंडल के पीछे पुरानी अनाज मंडी गंगापुर सिटी सस्थान पर पहुंचा एवं संस्थान का निरीक्षण किया। संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु घी (सरस) 1–1 लीटर के पैकेटस रखे थे। उक्त घी (सरस) में गुणवत्ता/मिलावट होने का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 1 लीटर घी (सरस) के मूल पैकेट खरीदकर उनकी कीमत 550/– रू0 विक्रेता श्री हरिलाल गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान अमरसिंह एवं वेदप्रकाश के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीकर कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदशुदा घी (सरस) 1 लीटर को खोलकर एक साफ सुखे व खाली भगौनी में खाली कर चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराकर मात्रा में डाल कर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक एच–2929 दर्ज किया। घी (सरस) के आउटर कवर की छाया प्रति करवाकर प्रत्येक बोतल पर लगाया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लेपट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं0 एच–2929 नियमानुसार चरों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के कोस हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं0 5ए की प्रतियॉ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढ़कर ,सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विकेता हरिलाल गुप्ता ने भी पढकर समझकर व सही मानकार हस्ताक्षर किये। फार्म [illegible] एक प्रति श्री वेदप्रकाश गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:42:58 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी [illegible] कार्यालय पहुँच कर [illegible] नं0 6 की [illegible] प्रतियॉ [illegible] की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिस नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की [illegible] आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो

प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदें प्राप्त की ।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी०ओ० एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/933 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2876/एक्ट/2023/2968 दिनांक 27.07.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (सरस) सबस्टैण्डर्ड एवं कोन्ट्राबेन्स प्रकृति का होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा सबस्टैण्डर्ड एवं कोन्ट्राबेन्स प्रकृति का खाद्य पदार्थ घी (सरस) का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण स्वयं उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

अभियुक्तगण सं० 1 ने दौराने बहस निवेदन किया कि मेरे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ घी (सरस) अभियुक्त सं० 2 से क्रय कर आम जनता को विक्रय किया जाता है। उक्त खाद्य पदार्थ घी (सरस) मेरे द्वारा बिल पर ही क्रय किया जाता है तथा जिस अवस्था में अभियुक्त सं० 2 से क्रय किया जाता है उसी अवस्था में विक्रय किया जाता है। यदि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की कमी/मिलावट पायी जाती है तो उसकी जिम्मेदार अभियुक्त सं० 2 है, साथ ही अभियुक्त सं० 1 ने उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

अभियुक्त सं० 2 ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही गलत तरीके से की गई है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में खाद्य पदार्थ घी को साफ सूखे व खाली बर्नीनी में खाली करना अंकगत कराया है। जबकि आवेदक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ अभियुक्त सं० 1 के समक्ष खोला ही नहीं है तथा आवेदक द्वारा जब उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग से खोला गया तो खाद्य पदार्थ की यथास्थिति हेतु फोर्मेलिन की बूंदे डाला जाना आवश्यक था, जिससे उक्त खाद्य पदार्थ की यथास्थिती बनी रहे, लेकिन आवदेक द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ में फोर्मेलिन की बूंदो का उपयोग नहीं किया है। ऐसी स्थिती में आवेदक द्वारा की गई कार्यवाही स्वतः ही निरस्त योग्य है,साथ ही अभियुक्त सं० 2 ने उक्त प्रकरण की कार्यवाही ड्राप करने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2876/एक्ट/2023/2966 दिनांक 27.07.2023 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (सरस) सबस्टैण्डर्ड एवं कोन्ट्राबेन्स प्रकृति का पाया गया है। यदि अभियुक्तगण उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 एवं 58 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त सं० 1 को 10,000 (दस हजार) रू० तथा अभियुक्त सं० 2 को 2,00,000 (दो लाख) रू० की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि में जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा [illegible] में सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.09.15 12:42:58 IST
Reason: SelfAttested